

# फायालय नगर पालिका, भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

( राज.न.पा.अधिनियम 1959 की धारा 170 ( एक से पन्द्रह ) के अंतर्गत )

क्रमांक:- तामिरात / 2016-17

दिनांक :- 22.3.17

श्री/श्रीमती

पिता/प्रति श्री

महेश्वर प्रसाद श्री

विषय : प्रार्थना पत्र

25.1.2017

उपरोक्त विषय में आप द्वारा प्लान स्वयं की आबादी एवं मिल्कियत भूमी पर होने की सुरत में निम्न शरायतों के साथ स्वीकृति दी जाती है। शरायतों की अवहेलना करने पर यह स्वीकृति प्रभावहीन होगी, मिल्कियत और किस्म में दोष पर प्रार्थी उत्तरदायी होगा।

शरायतें स्वीकृति:

1. समस्त निर्माण स्वयं की मिल्कियत मे ही निहित होगा तथा जिस परपज के लिये भूमी है उसी परपज का निर्माण करा सकेंगे।
2. बिना स्वीकृति कोई प्रोजेक्शन ईन्क्रोचमेन्ट नही करें, मेटेरियल फीस अग्रिम जमा करानी होगी।
3. पड़ोसियों के हक हकूक में तामीर नही करें, तथा सेट बेक के अनुसार तामीर करें।
4. बिल्डिंग लाईन और सर्वेले का ध्यान रखें। टेलीफोन, नल, बिजली, पाईप लाईन से पर्याप्त फासला रखें।
5. बोर्ड के भवन निरिक्षक से ( ले आउट ) निशा देही लेकर कार्य करें।
6. W.C. सेप्टी टैंक स्वयं की मिल्कियत भूमी में बनाना होगा।
7. कार्य प्रारम्भ करने और समाप्त करने की सूचना पालिका को देना होगा, कार्य पुरा होने पर नक्शे से निर्माण का मिलान करा कर तस्दीक कराये स्वीकृति अवधि एक वर्ष की होगी।
8. आपत्तिजनक होने पर स्वीकृति निरस्त अथवा संशोधित करने का अधिकार अधिशाषी अधिकारी /अध्यक्ष को होगा तथा हर्जे खर्चे का दायित्व पालिका का नहीं होगा। न.पा. तथा रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग नियमों और आदेशों की पालना करने के लिए आवेदक हमेशा पाबन्द रहेगा।
9. (1) तामीर स्वीकृति को टाईटल नहीं माना जावे। (2) डाक पत्र पेटी का निर्माण अवश्य करें। (3) स्वीकृति नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य करें। (4) भूखण्ड में कम से कम दो पेड़ अवश्य लगायें।
10. मेटेरियल चार्ज शुल्क की अवधि चार माह की है, उसके पश्चात अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा बाद अवधि मेटेरियल जब्त कर लिया जायेगा एवं स्वीकृति निरस्तरीय मानी जावेगी।

नोट:- 1. बरसाती पानी के उपयोग हेतु एक टैंक का निर्माण सेट बेक में अवश्य करें।

2. निर्माण के समय नाली टूट जावे तों उसे स्वयं के खर्चे पर सही करावे।

3. आप द्वारा प्लान स्वयं की आबादी एवं मिल्कियत भूमी पर होने की सुरत में निम्न शरायतों के साथ स्वीकृति दी जाती है। शरायतों की अवहेलना करने पर यह स्वीकृति प्रभावहीन होगी, मिल्कियत और किस्म में दोष पर प्रार्थी उत्तरदायी होगा।

संलग्न करें : स्वीकृत नक्शा प्रति एक।

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका, भीण्डर

हस्ताक्षर प्रार्थी

क्रमांक तामिरात / 2016-17

दिनांक 22/3/17

प्रतिलिपी सूचनार्थ

1. अतिक्रमण प्रभारी न.पा.भीण्डर

2. गार्ड फाईल

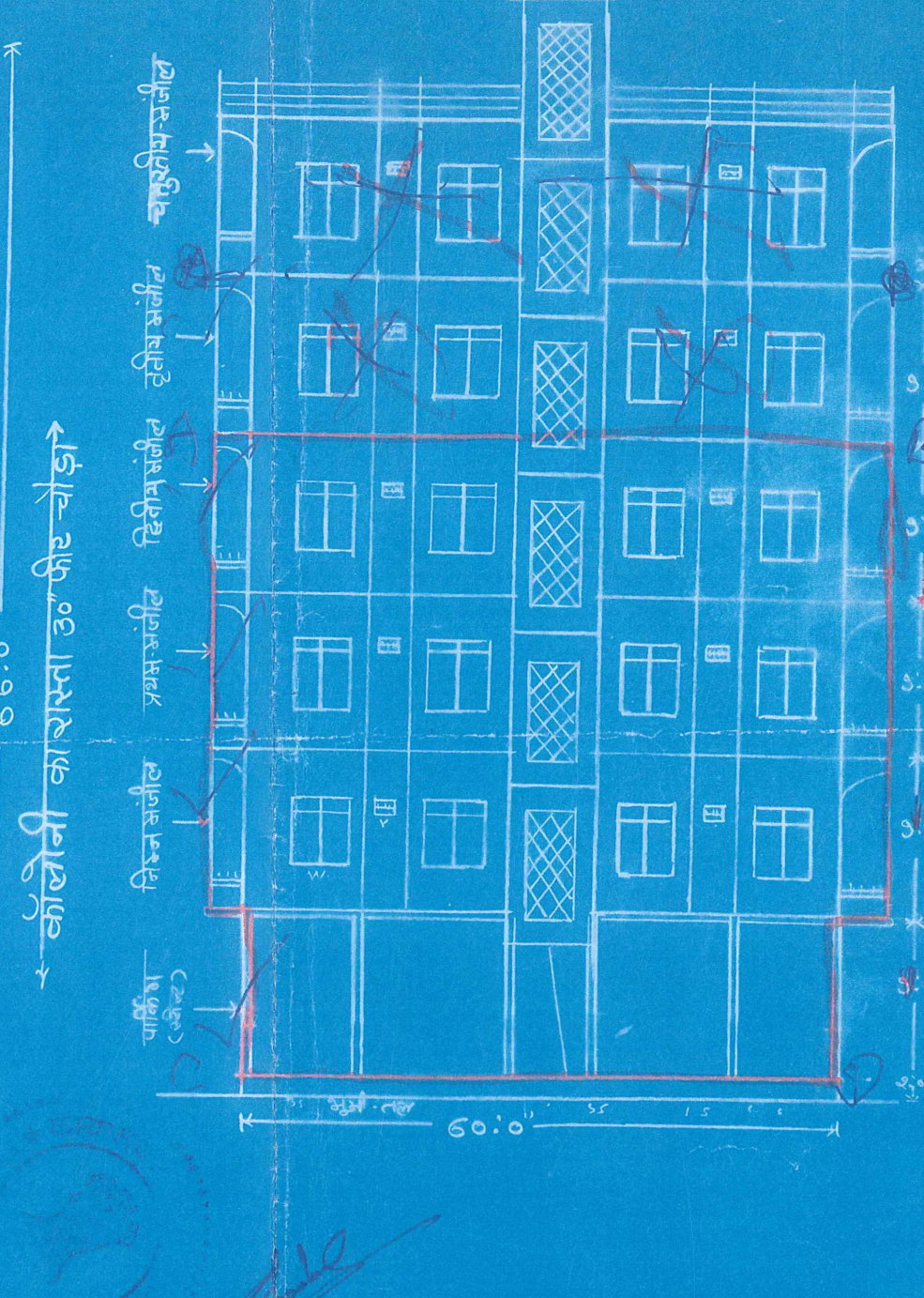
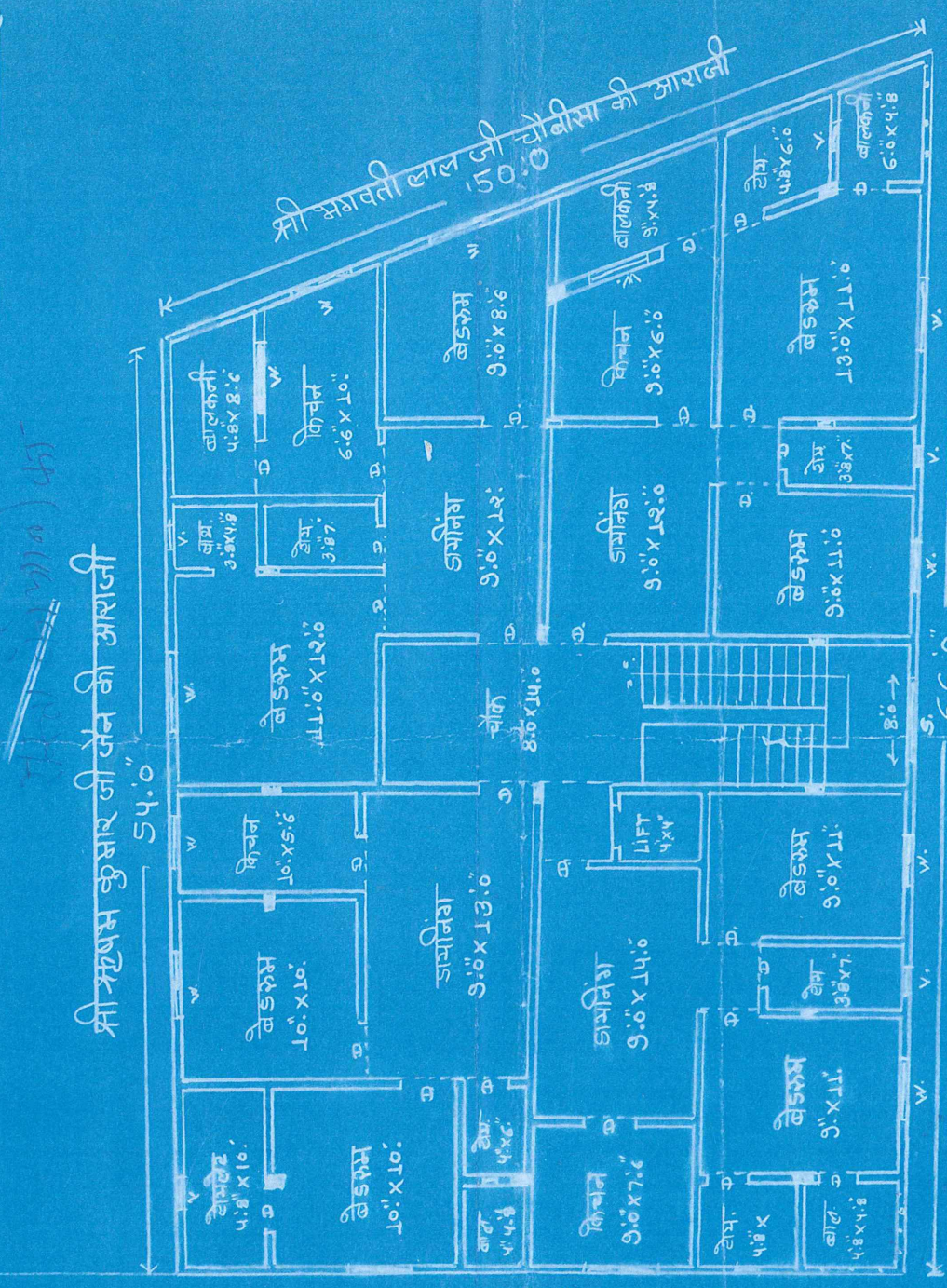
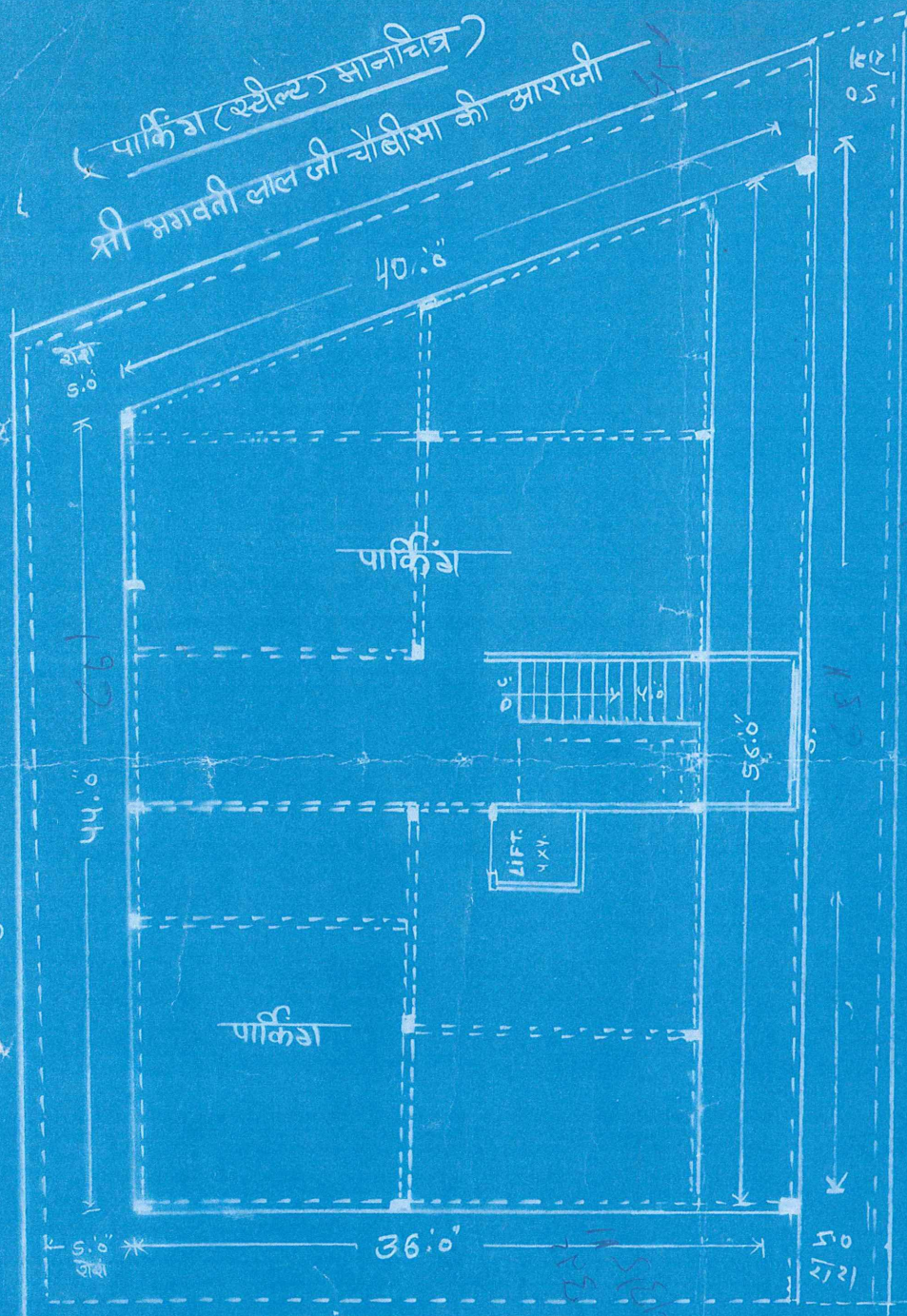
अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका, भीण्डर

**मान-चित्र:-** श्री शान्ति लाल जी ६/ सदन लाल जी चौबीसा निवासी- भी० डर, कस्बा भी० डर अन्दर हल्का आबादी-  
 वार्ड सं- में, जय पेट्रोलपम्प के सामने, रामेश्वरम ग्राम आवासीय कॉलोनी के अन्दर भीतरी भाग में-  
 स्थित स्वयं के भू-खण्ड पर निर्माण कार्य वाबत, पार्किंग (स्टील), निम्न मंजील, प्रथम मंजील, द्वितीय-  
 मंजील, तृतीय मंजील एवं चतुर्थीय मंजील मान-चित्र।

पु. N प.  
 उ.  
 SCALE :- 1" = 16.0'

सम्मुख दर्शन मान-चित्र (परियोजना)

श्री हवाम कुमार जी लेन की आराजी



स्वयं का भू-खण्ड  
 भू-खण्ड MCR-A0.9

स्वयं का भू-खण्ड

कॉलोनी का रास्ता 30 फीट चौड़ा

आवेदक के हस्ताक्षर:

APPROVED PLAN ABCD

- निर्माण कार्य की सीमा रेखा को लाल व शैल की सीमा रेखा-  
 को पीली रेखा द्वारा दर्शाया गया है।  
 पार्किंग (स्टील) का क्षेत्रफल :-  
 1. निम्न मंजील, प्रथम मंजील का क्षेत्रफल :- 2515 वर्गफीट (एक मंजील का)  
 2. मान-चित्र में ज. (दर्शाता) व. (खिड़की) व. (वेन) ड. (सेक्शन) कोकित है।  
 मान-चित्र में निम्न मंजील, प्रथम मंजील, द्वितीय मंजील, तृतीय मंजील, चतुर्थीय मंजील को मान-चित्र में (सैम) दर्शाया गया है।

श्री शान्ति लाल जी चौबीसा निवासी  
 श्री हवाम कुमार जी लेन की आराजी

दिनांक :- 21/01/2017

कन्हैया लाल यादव-ठ.  
 पेट्रोल पम्प के पास भी० डर